

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : एफ.5(1)गृह/सम्पर्क/सचिव/प्रकार./2002

जयपुर, दिनांक : 24/7/2015

आदेश

राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 के नियम-3 के अन्तर्गत समाचार पत्रों/समाचार समितियों/इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों तथा स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति का पुनर्गठन दो वर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	अध्यक्ष
2. श्री रोहित परिहार, इंडिया टूडे	सदस्य
3. श्री आशुतोष शर्मा, राजस्थान पत्रिका	सदस्य
4. श्री बाबूलाल शर्मा, दैनिक भास्कर	सदस्य
5. श्री राकेश गोस्वामी, हिन्दुस्तान टाईम्स	सदस्य
6. सुश्री पलक नंदी, टाईम्स ऑफ इंडिया	सदस्य
7. श्री मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज	सदस्य
8. श्री नरेन्द्र शर्मा, दैनिक जागरण	सदस्य
9. श्री राजेन्द्र बागड़ी, स्वतंत्र पत्रकार, ग्रामीण क्षेत्र	सदस्य
10. श्री मनोज माथुर, जी राजस्थान न्यूज	सदस्य
11. श्री एश्वर्य प्रधान, ईटीवी	सदस्य
12. अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	सदस्य सचिव

विशेष आमत्रित सदस्य

1. श्री जनार्दन कुलश्रेष्ठ, नेशनल दुनिया
2. श्री प्रकाश कुमावत, डेली न्यूज
3. श्री सुरेश योगी, दैनिक नवज्योति
4. श्री भूपेन्द्र ओझा, जार
5. श्री पंकज सोनी, न्यूज टूडे, सांघ्यकालीन
6. श्री राहुल गौतम, पंजाब केसरी

३०
 (अनिल गुप्ता)
 संयुक्त शासन सचिव
 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
 राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मा.मुख्यमंत्री(मंत्री, सूजस) महो।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूजस।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन / सूजस
6. संयुक्त निदेशक (समाचार / पंजीयन) सूजस।
7. समस्त सदस्यगण / सदस्य सचिव।
8. रक्षित पत्रावली।

३
 संयुक्त शासन सचिव